2016/00049

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2016 (बांसवाड़ा डिकी)

1. श्रीमती कुसुम देवी पत्नी श्री सुरेश व्यास, जाति ब्राहमण, निवासी बोरी, हाल जवाहर कॉलोनी, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती रेणुका पत्नी श्री सुरेश व्यास, जाति ब्राहमण, निवासी बोरी, हाल मुकाम जवाहर कॉलोनी, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाडा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. लालेंग पिता धुलजी पटेल, जाति पाटीदार, निवासी साकरिया, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. लवजी पिता धुलजी पटेल, जाति पाटीदार, निवासी साकरिया, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. मोगजी पिता श्री जुईता पटेल, जाति पाटीदार, निवासी साकरिया, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. नाथू पिता श्री जुईता पटेल, जाति पाटीदार, निवासी साकरिया, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. पेमजी पिता श्री जुईता पटेल, जाति पाटीदार, निवासी साकरिया, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी गढ़ी दिनांक 19.05.2016 प्रकरण संख्या 59/2014

——/——

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री ललित पाटीदार अभिभाषक रे.सं. 1 व 3
3– श्री तरूणनाथ रावल अभिभाषक रे.सं. 2, 4, 5

निर्णय [illegible] दिनांक 25–07–2024

प्रकरण के संक्षेप[illegible] तथ्य इस प्रकार [illegible] अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने [illegible] धारा 188, 2[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:55 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं प.रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे स्वामित्व की आराजी नंबर 263, 271, 4289/265 एवं वादी संख्या 3 से 5 की आराजी नंबर 270 ग्राम साकरिया में स्थित है, जिस पर वादीगण काबिज होकर खाते कमाते हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त आराजियात में अनाधिकृत नींव खोदकर बाउण्ड्रीवाल बनाने हेतु पत्थर डाल रहे हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे तथा दौराने दावा यदि भूमि पर निर्माण कर लिया जाता है तो उसे तुड़वाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19–05–2016 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–06–2016 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित पाटीदार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री तरूणनाथ रावल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया है, न ही तनकीवार निर्णय पारित किया है। स्वयं वादी/रेस्पोन्डेन्ट को अपनी भूमि की जानकारी नहीं है, जिस कारण उनके द्वारा कमिश्नर नियुक्त करने की प्रार्थना की गयी है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें स्वयं वादग्रस्त जमीन की जानकारी नहीं है। वादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड में सर्वे नंबरान भूमि पर वादी संख्या 3 से 5 का संयुक्त रूप से नाम दर्ज नहीं है एवं इसी प्रकार 3 से 5 द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड में सर्वे नंबरान भूमि पर वादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से नाम दर्ज नहीं है, फिर भी संयुक्त रूप से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी/अपीलान्टगण [illegible] किया है, जो [illegible] प्रावधानों के विपरीत है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने [illegible] गौर नहीं किया है एवं बिना रेकार्ड का [illegible] अपीलान्ट [illegible] वादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, [illegible] योग्य है। अतः अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:55 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. [illegible]
उदयपुर (राज.)

अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप ही निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह अंकित किया है कि "वकील उभयपक्ष में इस प्रकार की सहमति हुई कि विवादित आराजियात की निशादेही मौके पर पक्षकारान की मौजूदगी में कराई जाकर तो वाद डिक्री कर दिया जावे।" उक्त अंकन करते हुए वादी का वाद डिक्री कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया तथा विवादित आराजियात का सीमांकन पक्षकारान के सामने कराने का आदेश पारित किया। इस सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि स्वयं रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण को वादग्रस्त जमीन की जानकारी नहीं है, जिस कारण पक्षकारान के मध्य विवाद होता है। ऐसी स्थिति में हम पक्षकारान की उपस्थिति में सीमांकन कराया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 19-05-2016 में आंशिक संशोधन किया जाकर "विवादित आराजियात का सीमांकन पक्षकारान के सामने किया जावे।" को यथावत रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजियात का सीमांकन करवाकर तत्पश्चात् पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23-09-2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 25-07-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
पीठासीन अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:55 IST
Reason: SelfAttested